न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
पीठासीन अधिकारी : चन्द्रभान सिंह भाटी, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 07/2021
GCMS No-2021/27

प्रार्थी:–	बनाम	अप्रार्थीगण :–
श्री दिलीपसिंह यादव, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली		रमेश पुत्र श्री दुदाराम गुर्जर(विक्रेता) मोटर साईकिल आर जे 22 एचएस 6429 साई बाबा मन्दिर के पास हाउसिंग बोर्ड पाली निवासी गुजरों का ढाणा बागडिया पाली

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 2(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011

उपस्थित :–

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी अनुपस्थित।
2. अप्राथी अनुपस्थित।

–: निर्णय :–

दिनांक 01/09/2022

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 की उपधारा 2(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 के तहत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी ने नियत तारीख पेशी को उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए न्यूनतम जुर्माना अधिरोपित करने का निवेदन किया।

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली के पद पर पदस्थापित है। दिनांक 19.05.2020 को प्रार्थी ने दौराने गश्त अप्रार्थी को अपनी मोटर साईकिल आरजे 22 एचएस 6429 पर साई बाबा मदिर हाउसिंग बोर्ड पाली के पास दो ड्रमों में दुध बेचते हुए मिला, जिसे प्रार्थी ने अपना परिचय खाद्य सुरक्षा अधिकारी के रूप में दिया। मोटर साईकिल पर रखें ड्रमों का निरिक्षण करने पर पाया कि प्रत्येक ड्रम में लगभग 35 लीटर गाय का दुध जो आमजन की बिक्री हेतु रखा हुआ था, जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान के सामने प्रपत्र 5ए भरकर दिया प्रपत्र 5ए की दुसरी प्रति पर रसीद प्राप्त की जिस पर प्रार्थी गवाहान व विक्रेता के हस्ताक्षर है। एफएसओ ने अप्रार्थी को बता दिया कि वह गाय के दुध का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के अन्तर्गत जाचं हेतु ले रहा हुं। प्रार्थी ने गवाहान एवं विक्रेता की उपस्थिति में एक ड्रम मे से दो लीटर गाय का दुध एक साफ व सुखे स्टील भगोने में तुलवाकर वास्ते जांच हेतु क्रय किया जिसकी कीमत विक्रेता को 80 रूपये नगद देकर रसीद प्राप्त की जिस पर मालिक एंव उपस्थित गवाह के हस्ताक्षर हैं। उक्त क्रयसुदा गाय के दुध को नियमानुसार चार भागों में बांटकर लेबल तैयार कर कोड व सिरियल नम्बर आर–1064 अंकित किया एवं नमूने का विवरण अंकित कर मौका फर्द तैयार की, प्रत्येक लेबल पर अप्रार्थी व गवाहन एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। उक्त नमुना पैकेट खाद्य विश्लेषक, जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर को भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक द्वारा प्रेषित जांच प्रतिवेदन में प्रार्थी द्वारा लिया गया गाय के दुध का नमुना अमानक Sub-standard का पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा गाय के दुध का विक्रय खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थी दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थी पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थी ने अपने लिखित जवाब में अपनी गलती स्वीकार करते हुए भविष्य में इस प्रकार की गलती नही करने का कथन करते हुए प्रकरण में कोई कार्यवाही नही करने का निवेदन किया ।

हमने बहस पर मनन किया तथा पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 19.05.2020 को अप्रार्थी की मोटर साईकिल नम्बर आरजे 22 एचएस 6429 साई बाबा मंदिर के पास हाउसिंग बोर्ड पाली से गाय का दुध क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–1064 अंकित कर सीलबन्द किया गया तथा नियमानुसार प्रक्रिया अपनाते हुए जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। खाद्य विश्लेषक की रिपोर्ट क्रमांक/एल.एस./242/एक्ट/2020/242 दिनांक 02.06.2020 के अनुसार उक्त नमूना कोड संख्या आर–1064 को Sub-standard माना है, जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अध्याय 6 के नियम 26(2) का उल्लंघन है, जो इसी अधिनियम के अध्याय 9 की धारा 51 के अन्तर्गत शास्ति योग्य है। चूंकि अप्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के तथ्यों को स्वीकार किया गया है। इस कारण पत्रावली में किसी अतिरिक्त साक्ष्य/विवेचना की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा Sub-standard गाय का दुध का विक्रय करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थी पर 25000/– अक्षरे पच्चीस हजार रूपये मात्र की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्राथीगण एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

निर्णय आज दिनांक 01/09/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(चन्द्रभान सिंह भाटी)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)